Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069, Impact Factor: 4.964, Volume 06, No. 03, July-September, 2020, pp. 143-150

विभिन्न युगों में विवाह का स्वरूपः अतीत से वर्तमान तक

अनीता ज्याणी*

प्रस्तावनाः

संसार में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार नहीं पाया जाता हों चाहे वे सभ्य समाज हो या आदिवासी समाज, चाहे वे पूर्वी समाज हो या पश्चिमी समाज, सभी मे परिवार का अस्तित्व है, उसी प्रकार विवाह एक संस्था या माध्यम है जिसके आधार पर परिवार की स्थापना की जाती है सभी समाजों में विवाह का प्रचलन है जो कि उस समाज द्वारा स्वीकृत एवं मान्य है। परिवार बसाने के लिए दो या अधिक स्त्री–पुरूष में आवश्यक संबंध स्थापित करने और उसे स्थिर रखने की कोई न कोई संस्थात्मक व्यवस्था या तरीका प्रत्येक समाज में पाया जाता है जिसे कि विवाह कहते है। परिवार मानव समाज की एक आधारभूत ईकाई है यह स्त्री–पुरूष के आवश्यक संबंधों पर आधारित है। अतएव स्त्री–पुरूष के पारस्परिक संबंधों के लिए प्रत्येक समाज में कोई न कोई संस्थात्मक व्यवस्था होती है। विवाह इसी व्यवस्था का एक मान्य स्वरूप है। दूसरे शब्दों में विवाह यौन संबंधों को स्थापित करने का एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप है। अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य के लिए भी यौन संबंध स्थापित करना एवं संतानोत्पत्ति करना एक मूलभूत जैविकीय आवश्यकता है जो कि खाद्य संबंधी आवश्यकता के बाद सर्वोत्तम प्राथमिकता वाली आवश्यकता है। यदि भोजन व्यक्ति के जीवन का प्रश्न है तो यौन संबंधों की स्थापना संपूर्ण समूह के अस्तित्व का प्रश्न है। यद्यपि शारीरिक आवश्यकता के रूप में यौन प्रक्रिया व्यक्तिगत संतुष्टि तक ही सीमित प्रतीत होती है। अन्य प्राणियों में केवल यौनाचार पाया जाता है जबकि विवाह की बात हम मनुष्य के लिए ही करते है मानव की विभिन्न प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि एक आधारभूत आवश्यकता है।

विभिन्न युगों में विवाह का स्वरूप

मनुष्य जब से इस धरा पर अवतरित हुआ है तब से आज तक वह अपने मस्तिष्क का उपयोग कर सदैव प्रगति करता रहा है जहाँ गति होती है वहाँ परिवर्तन होता है भारतीय संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है और मनुष्य समाज का एक गतिशील प्राणी है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक विवाह के तरीको, जीवन साथी चुनाव, विवाह की उम्र व विवाह से संबंधित मूल्यों आदि में अनेक प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित हुए है।

वैदिक काल

हिंदू समाज में नारी को ज्ञान, शक्ति और सम्पत्ति का प्रतीक माना जाता है इनके रूप में सरस्वती, दुर्गा एवं लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नारी को समाज ने पुरूष का आधा हिस्सा माना है और अर्धांगिनी के रूप में स्थान दिया है। किसी भी कर्त्तव्य की पूर्ति इसके बिना नहीं हो पाती है। नारी

* शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं सहायक आचार्या, समाजशास्त्र विभाग, सेठ आर.एल. सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर, राजस्थान।.

के वास्तविक महत्व की इस प्रकार व्याख्या की गई है – नारी परिवार की नींव है, परिवार समुदाय की तथा समुदाय राष्ट्र की। इससे स्पष्ट है कि नारी ही राष्ट्र की नींव है। जिस देश में स्त्रियों का यथोचित सम्मान होगा, वह देश एक आदर्श देश होगा। प्रारंभ में हिंदू समाज में महिलाओं को काफी अधिकार और सम्मान प्राप्त थे। वैदिक काल में स्वयंवर की प्रथा थी। यह प्रथा स्पष्ट करती है कि इस काल की महिलाओं को अपने जीवन साथी के चुनाव में काफी स्वतंत्रता थी। एक युग में नारी स्वयंवर के माध्यम से अपने लिए सुयोग्य वर चुनती थी। इस काल में विवाह बालिका के वयस्क होने पर ही किया जाता था। साथ ही महिलाओं को विवाह बंधन में बांधना अनिवार्य था। स्त्री का भाई अपनी बहन का विवाह उसके योग्य वर के साथ करने में अपना सौभाग्य समझता था। इस काल में कुछ अपवादों को छोडकर ऐसा कोई उदाहरण नही मिलता था कि जहां बाल–विवाह की प्रथा प्रचलित रही हो। संतानोत्पत्ति करना प्रत्येक स्त्री का कर्त्तव्य माना जाता था। भारतीय संस्कृति में जीवन में विवाह और बच्चे को जन्म देना सबसे श्रेष्ठ कार्य माना गया है। इसे ऋण से मुक्ति कहा गया है। वैदिक काल में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं मिलता। वैवाहिक अधिकारों की दृष्टि से वैदिक काल की महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। इस काल में पुत्र–पुत्री के पालन–पोषण, शिक्षा में भेदभाव नहीं था। आजीवन कुमारी रहने की इच्छा होने पर पुत्री को पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद काल में कहीं भी पुत्री जन्म की उपेक्षा नहीं की जाती थी। नारी मुक्त वातावरण में जीवन व्यतीत करती थी। युवको व युवतियों में पारस्परिक सामाजिक संबंध वांछनीय माने जाते थे। युवाजन एक दूसरे से प्रणय–निवेदन कर सकते थे। वैदिक काल का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में स्त्री सहधर्मचारिणी थी अर्थात् पति के जीवन के साथ उसका गहरा नाता था, वह उसके सारे धार्मिक कार्यों की अनुगामिनी थी। पति एवं पत्नी के बीच समानता, मित्रता, अपनत्व एवं सहचार्यता की भावना थी।

उत्तर वैदिक काल

उत्तर वैदिक काल में भी स्त्री को अपने जीवन साथी के वरण में स्वतंत्रता थी। इस काल में उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी, यद्यपि विवाह विच्छेद की अनुमति उन्हें प्राप्त नहीं थी। इसका कारण भारत में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता रहा है। हिंदूशास्त्रानुसार विवाह एक धार्मिक संबंध है। घर में स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी और उन्है अर्धांगिनी माना जाता था। महाभारत में कहा गया है मृदु भाषी पत्नियां सुख में अपने पति की मित्र होती है, धार्मिक कृत्यों के समय वे उनके पिता के समान होती है तथा दुःख व कष्ट के समय वे उनकी माता के समान होती है। गृहस्थ जीवन में स्त्रियां सर्वोपरि होती थी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की तरह थी जो न्याय एवं औचित्य से प्रेरित थी। इस काल में सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। यद्यपि पुत्री के रूप में स्त्रियों का अपने पिता की सम्पत्ति में कोई भाग नहीं होता था, फिर भी प्रत्येक अविवाहित पुत्री अपने भाइयों को मिलने वाले पितृ धन का एक चौथाई भाग प्राप्त करने का अधिकार था। मृत्यु के पश्चात् माँ की सम्पति पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों में समान रूप से बांटी जाती थी। विवाहित पुत्रियों को केवल सम्मान स्वरूप थोडा ही भाग मिलता था।

मध्यकालीन काल

16 वीं शताब्दी से 18 वीं शताब्दी तक का समय मध्यकाल कहलाता हैं। इस युग में विशेषकर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् महिलाओं की स्थिति जितनी तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुई, वह हमारे सामाजिक इतिहास में कलंक के रूप में सदैव याद रहेगा। मुग़ल काल में जनसाधारण में

एक स्त्री और एक पुरूष के विवाह की प्रथा थी, परंतु धनवान और सम्मानित व्यक्तियों में बहुविवाह प्रचलित था। विधवाओं को पुनःविवाह का अधिकार प्राप्त न था। उन्है या तो अपने पति की चिता के साथ जल जाना होता था अथवा मृत्युपर्यन्त संयासिनी का जीवन व्यतीत करना पडता था। ऐसी स्थिति में सती प्रथा का प्रचलन स्वाभाविक था। यद्यपि हिंदूओं में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था किंतु मुसलमानों में विधवा विवाह के अनेक उदाहरण मिलते है। अफगान विधवाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। मुसलमान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हिंदू स्त्रियों का अपहरण करने के लिए सर्वदा तत्पर रहते थे। इसी कारण से हिंदूओं में बेटियों का अल्पायु में ही विवाह करने को पिताओं को बाध्य होना पडा। जिससे अल्पायु विवाह प्रथा और पर्दा प्रथा को समाज में बढावा मिला। पर्दा प्रथा इस सीमा तक बढ गई कि स्त्रियों के लिए कठोर एकांत तक नियम ही बन गया। इस युग में रक्त की पवित्रता की संकीर्णता का इतना विकास हुआ कि 5–6 वर्ष की आयु में ही विवाह होने लगे। इस काल में पर्दा–प्रथा का विकास तो इस सीमा तक हुआ कि परिवार के अन्य सदस्य तो दूर रहे, पति स्वयं भी किसी अन्य के सामने अपनी पत्नी का मुँह नही देख सकता था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का पति के साथ सती हो जाना पतिव्रत धर्म की सर्वोच्च परीक्षा मानी गई। इस प्रथा को धार्मिक आवरण प्रदान कर बढावा दिया गया।

स्वतंत्रतापूर्व का काल

भारत में मुग़लों के प्रवेश के साथ ही इस देश की स्त्रियों के जीवन में नरकीय यातना का प्रारंभ हुआ। जिस देश में स्त्रियों शक्ति, वैभव, लज्जा एवं संस्कृति की प्रतीक बनी थी उसी की अस्मिता खतरे में आ गई। मुग़लों की सत्ता समाप्ति के साथ भारतीय समाज को अंग्रेजों का भूत झकझोरने लगा। पश्चिम की अधकचरी संस्कृति की जडें यहाँ भी उगने लगी। चूंकि अग्रेंजो को इस देश के वैभव एवं संस्कृति का दोहन करना था अतः सबसे पहले उन्होनें अपनी संस्कृति का मुलम्मा यहाँ चढाने की कोशिश की, जिसमें वे सफल भी रहे पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव विवाह पर भी नजर आने लगा। इस काल में बाल–विवाह का प्रचलन जोरो पर था। विवाह को ही महिला का उपनयन संस्कार मान लिया गया। कम उम्र में विवाह हो जाने से ये अल्पवयस्क वधूएं वयस्क पुरूष के प्रभाव में आसानी से आ जाती थी। कम उम्र के फलस्वरूप उन्हें छोटी उम्र में गृहस्थी की समस्याओं से लडना पडता था। साथ ही कम उम्र में ही माँ बन जाने से संतानों का बोझ भी उस पर लद जाता था। इसके साथ ही अंतर्विवाह, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर नियंत्रण आदि वैवाहिक कुरीतियां भी प्रचलन में थी। इन प्रथाओं के कारण महिलाओं को समाज और परिवार में एक भार के रूप में समझा जाने लगा। पुत्री के विवाह की समस्या माता–पिता के लिए जैसे – सिरदर्द हो, महसूस किया जाने लगा। वे ऐसा ही सोचते थे कि कैसे भी हो उनकी पुत्री का विवाह हो जाए। अच्छे वर के चुनाव का महत्व घट गया। इस स्थिति में महिला वर–पक्ष के लिए एक लाभप्रद वस्तु नजर आने लगी। जिसके आने का एक मात्र लाभ अनेक उपहार प्राप्त करना था। स्वतंत्रतापूर्व हिंदू स्त्रियों को इन वैवाहिक कुरीतियों से बचाने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने प्रयास किया। स्त्रियों में एक चेतना की अलख जगाई। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1829 में लार्ड विलियम बैन्टिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। इस तरह से सती प्रथा का बंद होना स्त्री समाज के लिए शुभ एवं क्रांतिकारी कदम था। 1828 में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा के विरूद्ध आंदोलन किया, जिसका परिणाम यह निकला कि 1829 में कानूनन इसे समाप्त कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया, विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। बाल गंगाधर तिलक

ने विवाह संबंधी कुछ नियम समाज में रखें। उन्होनें बताया कि कन्या का विवाह 14 वर्ष के बाद ही होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 40 वर्ष के बाद विवाह न करें, यदि वह ऐसा करता है तो किसी विधवा स्त्री से विवाह करे। दहेज प्रथा को पूर्णरूपेण बंद किया जाना चाहिए। जागरूक महिलाओं एवं समाज सुधारकों ने बहुविवाह प्रचलन का विरोध किया। समय की गति के साथ भारतीय हिंदू नारी में चेतना के अंकुर फूटे और वे पुरूषों के साथ समानता में अपने हक और अधिकारों के लिए खडी हो गई।

स्वतंत्रता के बाद की स्थिति

स्वतंत्रता के बाद जिस तेजी के साथ समाज का परिदृश्य बदला है, उसी तेजी के साथ भारतीय स्त्रियों की प्रस्थिति भी बदली है। जिस तन्मयता एवं लगन के साथ भारतीय स्त्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, इसी तन्मयता ने स्वतंत्रता के बाद उसके परिवर्तन को जीवन्त बनाया। शिक्षा के प्रसार ने उन्है उन्मुक्त वातावरण की ओर मोडा, आज भारतीय नारी शासक भी है और राजनीति पर कटाक्ष करने वाली प्रबुद्ध पत्रकार, लेखिका, कवियत्री भी। आज डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री, सांस्कृतिक कलाओं की प्रणेता, बुद्धिजीवी, व्यवसायी तथा हर क्षेत्र में उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। यही कारण है कि उसकी सामाजिक व वैवाहिक स्थिति में तेजी के साथ बदलाव हुआ है। स्वतंत्रतापूर्व जागरण काल में ही हिंदू स्त्री के पक्ष में अनेकानेक आंदोलनों का सूत्रपात हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप अनेक कानूनी संरक्षण भी उन्है प्राप्त हुए। स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों के वैवाहिक अधिकारों की कानूनी रूप से व्यवस्था की गई, फलस्वरूप उन्है अपनी प्रस्थिति मजबूत बनाने के लिए अनेक कानूनी अधिकार प्राप्त हुए।

भारतीय समाज में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन काफी था। बाल विवाह के कारण स्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिति काफी दयनीय थी, वे मात्र भोग्या बनी हुई थी। बाल विवाह को रोकने के लिए सर्वप्रथम 1929 में एक कानून बना व 1978 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ जो विवाह की आयु संबंधी थी। इसके अंतर्गत लडके की आयु 21 वर्ष व लडकी की आयु 18 वर्ष विवाह के समय निर्धारित की गई। इस प्रकार जबरन खूंटे पर बांध देने वाली पुरानी प्रवृत्ति पर अंकुश लगा। इसी प्रकार प्राचीन समाज मे बहुविवाह का प्रचलन था। धीरे–धीरे आगे चलकर यह प्रचलन शान–शौकत और मर्यादा का प्रतीक माना जाने लगा था, जबकि इस प्रचलन से महिलाओं की स्थिति काफी गिर गई थी। कुछ जागरूक महिलाओं एवं समाज–सुधारकों ने इस प्रचलन का विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदूओं के लिए बहुविवाह अपराध माना गया। हिंदू पति प्रथम विवाह की पत्नी के जीवन काल में एवं उससे विवाह–विच्छेद किए बिना यदि विवाह कर लेता है तो द्वितीय विवाह धारा 5(1) एवं (2) के अनुसार अवैध है। इस तरह से हिंदू स्त्रियों को बहु विवाह से निजात मिली। बाल विवाह के कारण कई बार ऐसे मार्मिक दृश्य देखने को मिले है जब स्त्री अपने पूर्ण यौवनकाल में ही विधवा हो गई है। विधवा की जिंदगी नरकीय जिंदगी थी। उसके सामने दो ही रास्ते होते थे या तो वे पति के साथ सती हो जाए या तमाम उम्र कठोर बंधनों के तहत नरकीय यातना सहती जाए।

इस तरह से महिलाओं को वैवाहिक कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाने से उसकी स्थिति में तेजी के साथ बदलाव आया है। पहले जहाँ नारी का दैहिक, भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक शोषण पुरूष प्रधान समाज द्वारा किया जाता था, आज वो स्थिति नहीं है। आज की नारी अबला नहीं सबला की भूमिका जीने लगी है। तेजी से बदलते परिदृश्य के साथ भारतीय नारी भी बदल गयी है इस बदलाव मे परम्परा एवं आधुनिकता का द्वंद्व जरूर देखने को मिलता है यह बदलाव विवाह संस्था पर भी पडा व

नारी की सोच भी बदली। वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक विवाह के तरीको, जीवनसाथी का चुनाव, विवाह की उम्र व विवाह से संबंधित मूल्यों आदि में अनेक प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित हुए है। आज नारी परम्परागत जीवन साथी के चुनाव के तरीके को तोड चुकी है। आज लडकी द्वारा अपना वर बिना परिवार की सहमति से चुन लिया जाता है इसे प्रेम विवाह या गांधर्व विवाह कहा जाता है। इसमें लडकी या लडका जब किशोरावस्था को प्राप्त करते है तो कुछ शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों के कारण वे विवाहित लिंग के प्रति आकर्षित होते है और यह विवाह में तब्दील हो जाता है। लडकी को देखकर विवाह करने की प्रथा अब प्रायः सभी जगह प्रचलित हो गई है। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व तक लडके को उसकी भावी पत्नी का फोटो दिखाना भी बहुत अधिक आधुनिक परिवर्तन माना जाता था।

नगरों में आज यह देखने में आ रहा है कि कन्याओं के विवाह की आयु बढने लगी है माता–पिता व स्वयं लडकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में रूचि लेने लगी है तथा शिक्षा समाप्त करने पर वह व्यावसायिक प्रशिक्षण (बी.एड., स्टेनों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि) प्राप्त करना चाहती है। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के विचारों के अनुसार लडकी को विवाह पूर्व अपनी शिक्षा को पूर्ण करके विवाह के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। लड़की की शिक्षा सारे परिवार की शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी करना ही नहीं होता, शिक्षा मानव को एक सभ्य नागरिक बनाने में सहयोग करती है। कहा जाता है कि बालक की प्रथम गुरू उसकी माँ ही होती है। भगवान–स्वरूपा माँ ही बच्चे की प्रथम गुरू और पाठशाला होती है। एक शिक्षित माँ ही परिवार को सभ्य परिवार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक बालक के संपूर्ण समाजीकरण में माँ की भूमिका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं। माँ अमृत रस से भी बढकर है। एक शिक्षित माँ अपनी संतान को पढाना चाहती है। इस प्रकार जब तक सुयोग्य वर नही मिलता तब तक लडकियां पढती ही जाती है और जैसे–जैसे वे आगे पढती है, वे अधिक उत्तम प्रकार का वर चाहने लगती है जिसका मिलना सुगम नहीं होता और इस प्रकार विवाह की आयु बढ जाती है। उच्च शिक्षा प्राप्त लडकियों के लिए सजातीय वर ढूंढने की समस्या समाज के हर तबके में दिखाई देती है। शिक्षित महिलाएं चाहती है कि वे आत्मनिर्भर बने इसके लिए वे नौकरी या कोई व्यवसाय करने लगती है। अब उसके योग्य वर उसी के अनुरूप शिक्षित व नौकरी या व्यवसाय करने वाला होना आवश्यक हो जाता है। फिर भारतीय संस्कृति मे यह भी माना जाता है कि लडका सदैव लडकी से हर क्षेत्र में उच्च होना चाहिए और उच्च शिक्षा प्राप्त व नौकरी करने वाले लडको को दहेज चाहिए अतः दहेज का कारण भी उम्र के साथ जुडा हुआ हैं। आधुनिक समय में भौतिकवाद की ओर सबका आकर्षण बढ रहा है। आधुनिक उपभोग की वस्तुएँ हर व्यक्ति चाहता है। लोगों ने इन्हें प्राप्त करने का सरल तरीका दहेज द्वारा पूर्ण करना अपना लिया है। वर पक्ष वाले धन, आभूषण, मकान तथा वस्तुओं की माँग करते है। वर्तमान में कुछ शिक्षित महिलाएँ विवाह पर होने वाले खर्चे को नकद लेना पसंद करने लगी है व दहेज में दिया सामान अपनी पसंद के अनुसार खरीदती है। इस प्रकार प्रत्येक लडकी विवाह से पहले अपने जीवन मे आर्थिक रूप से स्वावलंबी तथा अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त करना चाहती है। उसमें समय लगता है इससे देर से विवाह करने का रिवाज सा होता जा रहा है। इसी के साथ नगरों की स्त्रियों में उच्च शिक्षा पश्चिमीकरण, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की भावना के बढने तथा रोजगार में लगे होने के कारण स्वावलंबी होने और कई मामलों में अंतर्पीढीय द्वंद्व के कारण लंबे समय तक और कभी–कभी तो जीवन पर्यन्त, अविवाहित रहने की प्रवृत्ति बढने लगी है। कुछ शिक्षित स्त्रियाँ अपने पसंद के लडके से विवाह करती है चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषाई क्षेत्र

का हो अर्थात् वर्तमान में अंतर्जातीय विवाहों का प्रतिशत बढता जा रहा है। अंतर्जातीय, अंतर्धामिक तथा विदेशियों से विवाह करने की प्रवृतियां भारतीय समाज में बढ रही धर्मनिरपेक्षता तथा सरलता का प्रमाण है। वर्तमान में कुछ महिलाएँ विवाह के समय किए जाने वाले व्यर्थ खर्चों को ना करके कोर्ट में विवाह करना पसंद कर रही है।

मनुष्य परिवार से ही जन्म लेता है साथ ही समाज के अस्तित्व की रक्षा करने वाले सभी कार्यो को पूरा करने का दायित्व परिवार का है। व्यक्ति परिवार में ही भाषा व्यवहार, पद्धति तथा सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है। परिवार जनजातीय, ग्रामीण और संस्कृतियों में पाया जाता है। भारतीय समाज की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में संयुक्त परिवार भी एक है। यहाँ प्राचीन समय से ही संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है। जिसमें एक परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर रहते है। एक संयुक्त परिवार लोगों का एक ऐसा समूह है जो सामान्यतया एक छत के नीचे रहते है जो एक रसोई से बने भोजन को करते है जिनके पास सामान्य सम्पत्ति होती है जो परिवार के सामान्य पूजा–पाठ में हिस्सेदार रखते है और एक–दूसरे के किसी विशिष्ट प्रकार के बंधुत्व से संबंधित होते है वर्तमान में अनेक महिलाएँ विवाह उपरांत संयुक्त परिवार को जेल समझती हैं। जहाँ सब इच्छाओं का दमन होता है और अधिकारों व स्वतंत्रता का कहीं नाम भी नहीं होता। वर्तमान में महिलाओं की सोच बदलती जा रही है और वे एकाकी परिवारों को पसंद करती है, जिससे उनकी स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी ना लगे।

इसे आधुनिकता की अंधी दौड का परिणाम माना जाए अथवा विकसित विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग, निःसंतान दम्पत्ति की संतान की चाहत कहा जाए अथवा मजबूर संतान की परिवार पालन की बाध्यता, किंतु कडवा सच यही है कि देश की अनेक विवाहित और अविवाहित महिलाए अपनी कोख को किराए पर देने लगी है जिनमें कहीं कोख दान जैसी पवित्र धारणा है तो कही पैसे लेकर इसे किराए पर देने जैसी धारणा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और मुंबई में ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी है और आगे भी हो रही है, हमारा समाज जो प्रारंभ से ही स्त्री की पवित्रता का पक्षधर रहा है और उसके चरित्र पर लांक्षन की संभावना मात्र पर उसे अग्निपरीक्षा देनी पडी और देनी पडती भी है, वहीं जान बूझकर उसके द्वारा कोख किराए पर देना हमारे समाज द्वारा क्या आसानी से स्वीकार किया जा सकता है? उत्तर भले ही नकारात्मक हो, किंतु यदि यह समाज में घटित हो रहा है तो अवश्य ही इस गंभीर प्रश्न पर बहस होनी चाहिए।

सेरोगेसी प्रजनन व्यवस्था का वह तृतीय पक्ष है जिसमें कोई महिला किसी दंपत्ति के निषेचित अंडाणु को अपने गर्भ में आश्रय देती है और नौ महिने के गर्भ के बाद शिशु को जन्म देकर उस दंपत्ति को सौंप देती है इस तरह से बच्चे पर पूरा अधिकार दंपत्ति का होता है सेरोगेशन की यह प्रक्रिया दो तरह से कार्यान्वित होती है एक, जिसमें महिला के अंडाणुओं का निषेचन किसी पुरूष के वीर्य से कराया जाए और महिला ही बच्चे की प्राकृतिक माँ हो। दूसरी प्रक्रिया वह है जिसमें बच्चा चाहने वाले दंपत्ति के निषेचित अंडाणु को महिला अपने गर्भ में पालती है और प्राकृतिक तौर पर महिला का बच्चे से कोई संबंध नहीं होता। सेरोगेशन के कारण अब भारत में धीरे–धीरे गर्भ की आउटसोर्सिंग भी जोर पकड रही है सन् 2005 के अंतिम महिनों में बच्चे की आस में सिंगापुर में रह रहे एक चीनी दंपत्ति को भारत खींच लाई।

यहाँ मुंबई में रहने वाली एक महिला ने अपनी कोख किराए पर दी। मुंबई में ही हीरानंदानी अस्पताल में डॉ. गौतम इलाबादिया की देखरेख में मुंबइया महिला ने एक चीनी बच्चे को जन्म दिया। इस दंपत्ति का कहना था चूंकि भारत सरकार सेरोगेसी पर सहायक प्रजनन तकनीकी दिशा–निर्देश

लेकर सामने आई है इसलिए यहाँ बच्चे की कस्टडी लेते वक्त आने वाली कानूनी पेचीदगियां कम है शायद यह वह वजह है जो चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के संतानहीन दंपतियों को भारत खींच रही है।

पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारत में सेरोगेशन बेहद सस्ता है महिलाओं को सेरोगेशन के बदले में एक से दो लाख रूपए दिए जाते है जो कि किसी भी दूसरे देश में दिए जा रहे पैसो से बहुत कम है शायद यही कारण है कि चिकित्सा पर्यटन के बाद अब विदेशियों के लिए भारत प्रजनन पर्यटन केन्द्र में तब्दील हो रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में भारतीय चिकित्सा शोध परिषद् और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी द्वारा जारी व कुछ नाम मात्र के दिशा निर्देश ही विद्यमान है जिसमें कहा गया है कि –

- भ्रूण विकास के दौरान सेरोगेट मदर का व्यय जैवकीय दंपत्ति अर्थात् जिसके लिए वह माँ बन रही है, द्वारा किया जाएगा।
- सेरोगेट मदर की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कृत्रिम प्रजनन की प्रक्रिया सेरोगेट मदर की सहमति से ही एच.आई.वी. परीक्षण के बाद ही प्रारंभ की जाएगी तथा इस दौरान वह नशा नहीं करेगी।
- महिला तीन बार से अधिक सेरोगेट मदर नहीं बन सकती।
- दानदाता के डिम्ब या शुक्राणु से पैदा हुए बच्चे को अधिकार नहीं होगा और किसी एकांकी महिला के कृत्रिम गर्भधारण करने से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा।
- कोई अविवाहित महिला भी कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से गर्भधारण कर सकती है इस पर किसी प्रकार का विधिक प्रतिबंध नहीं है अर्थात् विवाह किए बिना ही वह माँ बन सकती है

भले ही ओल्ड टेस्टामेंट में प्रसव के लिए किसी तीसरी महिला की चर्चा आई हो, महाभारत में नियोग प्रथा की घटना घटी हो और हमारे सामंती समाज में रखैल की अवधारणा एकदम नई और वैज्ञानिक है, इसके व्यापक सामाजिक, नैतिक और विधिक पहलू पर गंभीरता से विचार करके प्रभावी व परिणामी हल प्रस्तुत किया जाना ही समस्या का सही हल होगा ताकि इस पद्धति का धनाढ्य वर्ग दुरूपयोग न कर सके।

लिव इन रिलेशनशिप – राधिका–लोनी (2008) प्रकरण में जब से उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने लिव इन रिलेशन को न्यायिक मान्यता प्रदान की है, यह शब्दावली बहस का विषय बना हुआ है, अब महाराष्ट्र की राज्य सरकार भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में संशोधन करके लिव इन रिलेशन को विधिक मान्यता देने की तैयारी कर चुकी है, इसलिए इसका राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है

लिव इन रिलेशन का प्रयोग उच्चतम न्यायालय ने ही ऐसे दो स्त्री–पुरूषों के लिए किया था जो लंबे समय से पति–पत्नी के रूप में रहे है न्यायालय का मत था कि यदि दो स्त्री–पुरूष लंबे समय से एक साथ पति–पत्नी के रूप में रह रहे तो उन्हे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए अर्थात् उन्हें पति–पत्नी ही माना जाना चाहिए भले ही उन्होनें विधिपूर्ण ढंग से विवाह न किया हो।

यह सर्वविदित है कि भारतीय सांस्कारिक समाज केवल और केवल एक विवाह को ही मान्यता देता है जिसे विधिक रूप में भी ज्यो का त्यों स्वीकार कर लिया गया है व्यक्तिगत विधियों में भले ही

द्विविवाह या बहुविवाह (यथा मुस्लिम विधि) की अनुमति हो किंतु वे भी कुछ सीमाओं के अधीन यथा वैध विवाह सम्पन्न होने के बाद ही, किंतु सम्पन्न विवाह की वैधता का परीक्षण किए बिना, मात्र लंबे समय से साथ–साथ रहने के आधार पर ही उनके रिश्तो को पति–पत्नी का वैध संबंध मान लेना या स्त्री को विधिक रूप में पत्नी मान लेना विधिक प्रश्नों को जन्म दे सकता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विवाह संस्था आदिकाल से मौजूद है। यह समाज की महत्वपूर्ण संस्था है जो कि परिवार निर्माण में महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक भूमिका निभाती है। विवाह संस्था सभी कालों में समाजों में अपने विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देती है यद्यपि इसमें अतीत से वर्तमान तक परिवर्तन अवश्य हुए है किन्तु ये अपने परिवर्तित स्वरूप में आज भी विद्यमान है और इसी से इसके महत्व को जाना जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ✓ दूबे, श्यामचरण, (1988) ''मोर्डनाईजेशन एण्ड डवलपमेन्ट'', विस्तार पब्लिकेशन्स, दिल्ली
- ✓ नायर, पी.एस., (1989) ''इण्डियन यूथ : ए प्रोफाईल'', मित्तल पब्लिकेशन, दिल्ली
- ✓ पारसन्स, टॉलकट एण्ड बेल्स, राबर्ट, (1955) ''फैमिली सोशियोलाजेशन एण्ड इन्सट्रक्शन प्रोसेस'', दिल्ली
- ✓ रॉस, एल.डी., (1961) ''द फैमिली इन इट्स अरब सेटिंग'', ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस'', दिल्ली
- ✓ बोगाडर्स, विलियम (1986), ''सोशियोलॉजी'', मैकमिलन एण्ड कं., न्यूयॉर्क
- ✓ जॉनसन, एच.एम., (1954), ''सोशियोलॉजी : ए सिस्टैमेटिक इंट्रोडक्शन'', सेज पब्लिकेशन्स, न्यूयॉर्क, पृ.स. 148
- ✓ गोरे, एम.एस., (1993) ''द सोशियल कान्टेक्ट ऑफ इन आइडियोलॉजी'', सेज पब्लिकेशन
- ✓ ड्राईवर, एडविन, (1962) ''फैमिली स्ट्रक्चर एण्ड सोशियो इकोनोमिक स्टेट्स इन सेन्ट्रल इण्डिया'', सोशियोलॉजिकल बुलेटिन
- ✓ दुबे, लीला, (1974) ''सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप ए ट्रेन्ड रिपोर्ट'', ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजी एण्ड सोशियल एन्थ्रोपोलॉजी

❑❑❑